BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 505 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

News item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकु चित होता कृ चि क्षेत्र, धरती का सीना िीर िल रही हैं मशीनें, एनजीटी में चशकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Reply affidavit on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1-4
2	**ANNEXURE-1** True copy of order dated 14.11.224	5
3	**ANNEXURE-2** True copy of letter dated 14.11.2024	6-9
4	**ANNEXURE-3** Environment Compensation Dated 29.11.2024	10

NEW DELHI
DATED:.30.11.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 505/2024

NOTARY R. C. OJHA Advocate Notary H. Q. Alld. Reg. No. 20120/2001 GOVT. OF U.P.

<u>IN THE MATTER OF</u>:

News item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती का सीना चीर चल रही हैं मशीनें, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024

<u>COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 21.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL B ENCH, NEW DELHI.</u>

I, Dr. Suresh Chandra Shukla aged about 59 years, S/o Late Raj Nath Shukla presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB),Prayagraj do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That present matter is about illegal soil mining which is taking place near the Aung police station area in Fatehepur District, Uttar Pradesh.

3. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) vide its order dated 08.05.2024 had impleaded the UPPCB as Respondent No.-1 with direction for filing the response. In compliance of the order dated 08.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, response/action taken report has been filed by the UPPCB on 14.08.2024, uploaded on 14.08.2024.

4. That after perusal and considering the response/action taken report filed by the UPPCB, this Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.08.2024 has passed the following directions:

> ....3. *Though, a report has been filed by UPPCB but Counsel of UPPCB is not presented today. The report of UPPCB reveals that the penalty of Rs. 50,000/- has been imposed for violating the mining lease. The report does not reflect that any EC has been imposed by the UPPCB for causing damage to the environment. Though the Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Fatehpur have filed the response but no one is present on their behalf to assist the Tribunal, hence, we impose a cost of Rs. 10,000/- each on both of them, to be deposited with the NGT Bar Association within two weeks.*

NOTARY R. C. OJHA Advocate Notary H. Q. Atid Reg. No 2012@2001 30-11-24 GOVT. OF U.P.

5. That in compliance to the above directions passed by this Hon'ble Tribunal the Mining Officer, Fatehpur vide his letter

no.-1544/खनिज/आख्या/एन0जी0टी0ओ0ए0505/2024 dated 14.11.2024 has provided the information regarding mining lease holders in question. A true copy of the order dated 14.11.2024 is being attached herewith as **Annexure No.-R1/1.**

6. That further in pursuance to the information provided by the Mining Officer, Fatehpur, Regional Officer, UPPCB, Prayagraj vide its letters dated 14.11.2024 has recommended for imposition of Environmental Compensation of Rs. 3,17,880/- against lease holder Rohit Kumar S/o Sri Mahipal R/o Faridpur, Usraina, Tehsil-Bindki, District-Fathpur. A true copy of the letter dated 14.11.2024 is being attached herewith as **Annexure No.-R1/2.**

7. That show cause notice for imposition of Environmental Compensation against the lease holder in question i.e. Sri Rohit Kumar S/o Sri Mahipal R/o Faridpur, Usraina, Tehsil-Bindki, District-Fathpur, has been issued by Head Office, UPPCB Lucknow vide letter no. H20399/C-2/Sa-894/24, dated 29.11.2024 for excess quantity of soil mining in accordance to the methodology developed by the CPCB. A true copy of the Show Cause Notice regarding imposition of

NOTARY R. C. OJHA Advocate Notary H. Q. Alld. Reg. No. 20120/2001 GOVT. OF U.P.

Environmental Compensation dated 29.11.2024 is being attached herewith as **Annexure No.-R1/3**.

8. That the Annexure annexed to the present accompanying affidavit is true copies of their respective original.

9. That the above compliance of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Prayagraj on this 30th day of November, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
R. C. OJHA
Advocate Notary
H. Q. Alld.
GOVT. OF U.P.
30-11-24

Sig. Identified

R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad
30-11-24

This documents has been signed before me
Place at Allahabad the document is /are
Identified by
Advocate the Contents of the documents
has been explained
Admit the to be Correct
And the documents attested

Advocate Notary
30-11-24

Annexure No. R1/1

प्रेषक,

खान अधिकारी,

फतेहपुर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

प्रयागराज।

पत्रांक [illegible] /खनिज/आख्या/एन0जी0टी0 ओ0ए0–505/2024 दिनांक [illegible] / 11 /2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओरिजनल अप्लीकेशन सं0–505/2024 the news item titled" उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती का सीना चीर चल रही है, मशीनें, एनजीटी मे शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–जी–01119/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0–505/2024 दिनांक 18.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन में यू0पी0पी0सी0बी0 की ओर से मा0 अधिकरण मे रिपोर्ट दाखिल किये जाने हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये अतिरिक्त मिट्टी खनन की मात्रा 3532घ0मी0 के सम्बन्ध मे कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये मिट्टी खनन की अवधि एवं खनन किये गये मिट्टी का बाजार मूल्य उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को ग्राम आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से कुल क्षेत्रफल 0.1860 हे0 में 3200 घनमीटर के साधारण मिट्टी के निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या एन०ओ०सी० (ओ०ई०/2023/11/29/290379) दिनांक 05.01.2024 को (दिनांक 05.01.2024 से 03.04.2024 तक की अवधि हेतु) जारी किया गया था। जांच के दौरान पाया गया था कि अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा कुल 3532 घनमीटर अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है। ई0–एम0एम0–11 पोर्टल के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 02.02.2024 से 21.03.2024 तक ई–एम0एम0–11 जनरेट कर खनन किया गया है।

उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र सं0 641(3)/86–2016–153(सामान्य)/2017 दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वॉ संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना सं0 641/86–2018–153 (सामान्य), दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गई है, जिस कारण उपखनिज साधारण मिट्टी के बाजार मूल्य की गणना सम्भव नही हो पा रही है।

आपके विशेष पृच्छा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से मिट्टी क्रय करने वाले कुछ वाहन चालको से जानकारी की गई, जिसके द्वारा बकाया गया कि रु0–30 घ0मी0 साधारण मिट्टी खरीदते हैं।

अतः महोदय उपरोक्त वांछित सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

खान अधिकारी

फतेहपुर।

पत्रांक व तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

खान अधिकारी,

फतेहपुर।

दूरभाषः / **Ph. :** 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक G01131/NGT OA No. 505 of 2024/24 दिनांक 14/11/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

Annexure No. R1/2

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024** the news item titled **"उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत"** appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 **के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 21.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

".......2. The CPCB has filed the reply disclosing that permission for mining the ordinary soil was given to Mr. Rohit Kumar who had carried out the mining of 6732 m3 as against 3200m3 ordinary soil thus violated the mining permission in terms of quantity of mined soil and doing excessive mining....."

अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 710/खनिज/एन0जी0टी0/ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 22.05.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण की जांच दिनांक 14.08.2024 को किया गया था तथा रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया था। जांच के दौरान खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया कि श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से कुल क्षेत्रफल 0.1860 हे0 में 3200 घनमीटर के साधारण मिट्टी के निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या एन0ओ0सी0 (ओ0ई0/2023/11/29/290379) दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया था। जांच के दौरान पाया गया था कि अनुज्ञाधारक द्वारा 3200 घनमीटर मिट्टी खनन हेतु दी गयी अनुमति के विरूद्ध कुल लगभग 6732 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा कुल 3532 घनमीटर अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा अनुमति मात्रा से अतिरिक्त मात्रा में किये गये मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 03.12.2024 को नियत है।

भवदीय,

14/11/24
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी

sunil PA-AE/RO. COM

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024 the news item titled ''उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत'' appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी खनन किये जाने के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ई0सी0) अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024 the news item titled ''उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत'' appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 21.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

".......2. The CPCB has filed the reply disclosing that permission for mining the ordinary soil was given to Mr. Rohit Kumar who had carried out the mining of 6732 m3 as against 3200m3 ordinary soil thus violated the mining permission in terms of quantity of mined soil and doing excessive mining....."

अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 710/खनिज/एन0जी0टी0/ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 22.05.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण की जांच दिनांक 14.08.2024 को किया गया था तथा रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया था। जॉच आख्या में उल्लेख किया गया है कि श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से कुल क्षेत्रफल 0.1860 हे0 में 3200 घनमीटर के साधारण मिट्टी के निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या एन0ओ0सी0 (ओ0ई0/2023/11/29/290379) दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया था। जांच के दौरान पाया गया था कि अनुज्ञाधारक द्वारा 3200 घनमीटर मिट्टी खनन हेतु दी गयी अनुमति के विरूद्ध कुल लगभग 6732 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा कुल 3532 घनमीटर अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र सं0 जी01110/एनजीटी ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 13.11.2024 के द्वारा अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये मिट्टी खनन की अवधि एवं खनन किये गये मिट्टी का बाजार मूल्य उपलबध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। खान अधिकारी, फतेहपुर के पत्र सं01544/खनिज/आख्या/एन0जी0टी0 ओ0ए0–505/2024, दिनांक 14.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि ई0–एम0एम0–11 पोर्टल के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 02.02.2024 से 21.03.2024 तक ई–एम0एम0–11 जनरेट कर खनन किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र सं0 641(3)/86–2016–153 (सामान्य)/2017 दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वॉ संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना सं0 641/86–2018–153 (सामान्य), दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गई है, जिस कारण उपखनिज साधारण मिट्टी के बाजार मूल्य की गणना सम्भव नहीं हो पा रही है। खान अधिकारी द्वारा

अवगत कराया गया कि उन्होने अनुज्ञा क्षेत्र से मिट्टी क्रय करने वाले कुछ वाहन चालकों से जानकारी की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि रू0–30 प्रतिघ0मी0 साधारण मिट्टी खरीदते हैं।

अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा स्वीकृत 3200 घनमीटर साधारण मिट्टी के निकासी के अतिरिक्त कुल 3532 घनमीटर साधारण मिट्टी का खनन किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाईडलाईन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निम्नवत् फार्मूला निर्धारित किया गया है :–

Environmental Compensation = Dx (1+RF+DF)

where D = Market Value of Illegally Mined Material

RF = Risk Factor

DF = Deterrence Factor

प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर पूर्णतया अवैध खनन किये जाने के कारण RF (Risk Factor) = 1 एवं DF (Deterrence Factor) = 1 लिया गया है। खान अधिकारी, फतेहपुर के पत्र दिनांक 14.11.2024 के द्वारा साधारण मिट्टी का बाजार मूल्य लगभग रू0 30/– प्रतिघन मीटर की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

Environmental Compensation (EC) = Dx (1+RF+DF)

= 3532 cubic meter @ Rs. 30.00 per cubic meter x(1+1+1)

= 3,17,880.00

(Total Rs. Three lacs seventeen thousand eight hundred eighty only).

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पट्टाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल के निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख में स्वीकृत खनन क्षेत्र से अतिरिक्त मात्रा में किये गये मिट्टी खनन (कुल मात्रा 3532 घनमीटर) हेतु कुल धनराशि रू0 3,17,880.00/– (रू0 तीन लाख सत्रह हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

14/11/24	14/11/24	14/11/2024
(रामजस प्रसाद)	(राजेश सिंह)	(कौशल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक	वैज्ञानिक सहायक	सहायक पर्यावरण अभियन्ता

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

14/11/24

प्रेषक,

खान अधिकारी,
फतेहपुर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्रयागराज।

पत्रांक 1521 /खनिज/आख्या/एन0जी0टी0 ओ0ए0-605/2024 दिनांक 11/11/2024

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओरिजनल अप्लीकेशन सं0-605/2024 the news item titled" उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती का सीना चीर चल रही है, मशीनें, एनजीटी मे शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-01119/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0-505/2024 दिनांक 18.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन में यू0पी0पी0सी0बी0 की ओर से मा0 अधिकरण मे रिपोर्ट दाखिल किये जाने हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये अतिरिक्त मिट्टी खनन की मात्रा 3532घ0मी0 के सम्बन्ध मे कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये मिट्टी खनन की अवधि एवं खनन किये गये मिट्टी का बाजार मूल्य उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद-फतेहपुर को ग्राम आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से कुल क्षेत्रफल 0.1860 हे0 में 3200 घनमीटर के साधारण मिट्टी के निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या एन०ओ०सी० (ओ०ई०/2023/11/29/290379) दिनांक 05.01.2024 को (दिनांक 05.01.2024 से 03.04.2024 तक की अवधि हेतु) जारी किया गया था। जांच के दौरान पाया गया था कि अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा कुल 3532 घनमीटर अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है। ई0-एम0एम0-11 पोर्टल के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 02.02.2024 से 21.03.2024 तक ई-एम0एम0-11 जनरेट कर खनन किया गया है।

उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र सं0 641(3)/86-2016-153(सामान्य)/2017 दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वॉ संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना सं0 641/86-2018-153 (सामान्य), दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गई है, जिस कारण उपखनिज साधारण मिट्टी के बाजार मूल्य की गणना सम्भव नही हो पा रही है।

आपके विशेष पृच्छा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से मिट्टी क्रय करने वाले कुछ वाहन चालको से जानकारी की गई, जिसके द्वारा बकाया गया कि रु0-30 घ0मी0 साधारण मिट्टी खरीदते हैं।

अतः महोदय उपरोक्त वांछित सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

खान अधिकारी
फतेहपुर।

पत्रांक व तददिनांक
प्रतिलिपिः-जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

खान अधिकारी,
फतेहपुर।

मीनाक्षी सिंह 30/11/2024

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H20399/C-2/सा0-894/24 दिनॉक Date 29-11-2024

सेवा में, **पंजीकृत**

श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल
(खनन पटटा गाटा संख्या 19ख ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर)
निवासी फरीदपुर, उसरैना,
जनपद फतेहपुर।

Annexure No. R1/3

यह कि **श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को स्वीकृत खनन पटटा गाटा संख्या 19ख, ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर** जिसे आगे अनुज्ञाधारक कहा जायेगा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 21.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

"......2. The CPCB has filed the reply disclosing that permission for mining the ordinary soil was given to Mr. Rohit Kumar who had carried out the mining of 6732 m3 as against 3200m3 ordinary soil thus violated the mining permission in terms of quantity of mined soil and doing excessive mining....."

यह कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 710/खनिज/एन0जी0टी0/ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 22.05.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण की जांच दिनांक 14.08.2024 को किया गया था तथा रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया था। जॉच आख्या में उल्लेख किया गया है कि श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद–फतेहपुर को ग्राम–आशीफपुर, मुस्तकील (आशापुर), परगना–बिन्दकी, जनपद–फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से कुल क्षेत्रफल 0.1860 है0 से 3200 घनमीटर के साधारण मिट्टी के निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या एन0ओ0सी0 (ओ0ई0/2023/11/29/290379) दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया था। जांच के दौरान पाया गया था कि अनुज्ञाधारक द्वारा 3200 घनमीटर मिट्टी खनन हेतु दी गयी अनुमति के विरूद्व कुल लगभग 6732 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा कुल 3532 घनमीटर अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र सं0 जी0 1110/एनजीटी ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 13.11.2024 के द्वारा अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये मिट्टी खनन की अवधि एवं खनन किये गये मिट्टी का बाजार मूल्य उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। खान अधिकारी, फतेहपुर के पत्र सं0 1544/खनिज/आख्या/एन0जी0टी0 ओ0ए0–505/2024, दिनांक 14.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि ई0–एम0एम0–11 पोर्टल के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 02.02.2024 से 21.03.2024 तक ई–एम0एमं0–11 जनरेट कर खनन किया गया है। उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र सं0 641(3)/86–2016–153 (सामान्य)/2017 दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वॉ संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना सं0 641/86–2018–153 (सामान्य), दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गई है। खान अधिकारी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से मिट्टी कय करने वाले कुछ वाहन चालकों से भी जानकारी की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि रूपये 30 घन मी0 की दर से साधारण मिट्टी खरीदते हैं।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाईडलाईन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निम्नवत् फार्मूला निर्धारित किया गया है:–

Environmental Compensation = Dx (1+RF+DF)
where D = Market Value of Illegally Mined Material
RF = Risk Factor
DF = Deterrence Factor

AGE Taina

प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृत खनन क्षेत्र से अतिरिक्त मात्रा में अवैध खनन किये जाने के कारण RF (Risk Factor) = 1 एवं DF (Deterrence Factor) = 1 लिया गया है। खान अधिकारी, फतेहपुर के पत्र दिनांक 14.11.2024 के द्वारा साधारण मिट्टी का बाजार मूल्य लगभग रू0 30/– प्रतिघन मीटर की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

30/11/24

........2/–

30/11/2024